गोरखनाथ, भा0प्र0से0, आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 28.09.2022 को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणीः–

1. <u>आमुख</u> :– किशनगंज जिला सृजन से पूर्व पूर्णियाँ जिला के एक अनुमंडल के रूप में कार्यरत था। जिला का सृजन दिनांक 14 जनवरी, 1990 को हुआ है। स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या– 90 (3) दिनांक–06.02.1997 के अनुसार किशनगंज जिला में सिविल सर्जन के पदस्थापनोपरान्त डा0 गोपालधारी जयसवाल प्रथम सिविल सर्जन के रूप में दिनांक–18.02.1997 योगदान किये।

2. <u>स्वास्थ्य संरचनाः</u>– इस जिला में 01 अनुमंडल एवं 07 प्रखंड है । जिला अर्न्तगत स्वास्थ्य संस्थान निम्न प्रकार है –

कमांक	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	संख्या	प्रति संस्थान में स्वीकृत शैय्या की संख्या
1	सदर अस्पताल	01	100
2	रेफरल अस्पताल	02	30
3	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	04	30
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	03	12
5	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (कार्यरत)	20	06
6	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (अकार्यरत)	26	06
7	स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या	259	0

3. **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन का विवरणः–**

कमांक	नाम	अवधि		अभ्युक्ति
		कब से	कब मक	
1	डा0 गोपालधारी जयसवाल	18.02.1997	31.12.1999	
2	डा0 सुवर्ण शेखर झा	01.01.2000	09.04.2000	
3	डा0 दया नन्द राय	10.04.2000	3101.2001	
4	डा0 विजय शंकर दास	01.02.2001	21.03.2001	
5	डा0 गणेश प्रसाद सिंह	22.03.2001	31.01.2004	
6	डा0 भगवान मांझी	01.02.2004	02.05.2005	
7	डा0 शिवनाथ झा	03.05.2005	31.08.2007	
8	डा0 पुरूषोत्तम लाल अग्रवाल	01.09.2007	17.09.2007	
9	डा0 इन्द्र देव रंजन	18.09.2007	08.07.2012	
10	डा0 अफाक अहमद लारी	09.07.2012	30.06.2015	

11	डा0 राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा	01.07.2015	27.08.2015	
12	डा0 परशुराम प्रसाद	28.08.2015	29.02.2020	
13	डा0 रफत हुसैन	01.03.2020	13.03.2020	
14	डा0 सुशील कुमार सिंह	14.03.2020	06.04.2020	
15	डा0 श्री नन्दन	07.04.2020	30.11.2021	
16	डा0 सुरेश प्रसाद	01.12.20212	07.01.2022	
17	डा0 कौशल किशोर प्रसाद	08.01.2022	अबतक	

4. **प्रधान लिपिक** –

कमांक	नाम	प्रभार अवधि	अभ्युक्ति
1	श्री उमेश प्रसाद चौधरी	अद्यतन	

5. **पूर्व निरीक्षण** :– सिविल सर्जन कार्यालय का निरिक्षण पूर्व में नही किया गया है ।

6. **जिला अर्न्तगत स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा पदाधिकारियों का स्वीकृत बल, कार्यरत बल, एवं रिक्ति की विवरण** :–

Sl.	Name of Post	Santioned	Posted	Vacant	No. of M.O. Absent, Leave, SR etc.	No. of Working M.O.
1	Civil Surgeon	01	01	0		1
2	ADS cum Assitant Civil Surgeon (Immunization)	01	0	01		0
3	ADS cum Assitant Civil Surgeon (Legal)	01	0	01		0
4	ADS cum Assitant Civil Surgeon (Store)	01	0	01		0
5	ADS cum Assitant Civil Surgeon (Family Welfare & MCH)	01	0	01		0
6	Additional District Disease Control Officer	01	0	01		0
7	Additional Chief Medical Officer	01	01	0		1
8	ADS cum AACMO (CD & TB)	01	0	01		0
9	ADS cum AACMO (Family Welfare)	01	0	01		0
10	ADS cum AACMO (Immunization)	01	0	01		0
11	ADS cum AACMO (NCD)	01	0	01		0
12	DIO	01	02	-01	1	1
13	DVBDCO	01	0	01		0
14	Suprintendent	01	0	01		0
15	DS	01	0	01		0
16	MO I/C	02	02	0		2

19	Gynaeclogist	11	02	09	1	1
20	Anaesthesist	13	02	01	1	1
21	Paediatrics	12	0	12		
22	Orthopaedics	01	01	0		1
23	Dermatologist	01	0	01		
24	E.N.T. Specialist	01	0	01		
25	EYE Specialist	01	0	01		
26	Pathologist	01	0	01		
27	Physician	04	0	04		
28	Radiologist	02	0	02		
29	Dentist	07	06	01		6
30	Ayush	48	0	48		
	Total	265	90	175	30	60

7. जिला अर्न्तगत स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मियों का स्वीकृत बल , कार्यरत बल, एवं रिक्ति की विवरण :–

क0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद
1	सहायक औषधी नियंत्रक	1	1	0
2	औषधी निरीक्षक	2	2	0
3	मलेरिया निरीक्षक	3	0	3
4	निगराणी निरीक्षक	3	0	3
5	स्वच्छता निरीक्षक	8	0	8
6	स्वास्थ्य प्रशिक्षक	9	2	7
7	प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक	7	1	6
8	परिचारिका श्रेणी 'ए'	111	38	73
9	आशु टंकक	2	0	2
10	महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका	30	0	30
11	ए0 एन0 एम0	557	302	255
12	प्रधान लिपिक	2	2	0
13	लिपिक	39	16	23
14	रोकड़ पाल	02	0	02
15	फर्मासिस्ट	32	6	26
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

17	नेत्र सहायक	8	1	7
18	एक्स–रे टेक्नीशियन	12	3	9
19	शल्य कक्ष सहायक	21	2	19
20	प्रयोगशाला प्राबैधिक	31	8	23
21	संगणक	7	0	7
22	स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (एच0 डब्लू0)	21	0	21
23	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	27	0	27
24	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (मलेरिया)	2	0	2
25	परिवार कल्याण कार्यकर्ता	21	1	20
26	डिस्पेंशर	1	1	0
27	चालक	13	3	10
28	अचिकित्सा सहायक	8	0	8
29	बी0 सी0 प्राबैधिक	1	1	0
30	चतुर्थवर्गीय कर्मी	150	110	40
31	ई0सी0जी0 टेक्निशीयन	1	0	1
32	संख्यिकि लिपिक	1	0	1
33	मेट्रोन+मेट्रोन सहायक	2	0	2
34	ओडिओ मेट्रीसियन	1	0	1
35	फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनल थेरापिस्ट	2	1	1
36	प्रयोगशाला प्रावैधिकी (हॉस्पिटल वर्कर)	3	0	03
37	पब्लिक हेल्थ मैनेजर	1	0	1
38	प्राचार्य / प्राचार्या	2	0	2
39	जन स्वास्थ्य परिचारिका	4	0	4
40	बहन प्रशिक्षिका (ट्यूटर)	4	1	3
41	गृह संरक्षिका	1	1	0
42	लाईब्रेरियन	1	0	1
43	असिस्टेंट लाईब्रेरियन	1	0	1
44	पलम्बर	1	0	1

46	व्याखाता	6	0	6
47	कार्यालय अधीक्षक	1	0	1

इस कार्यालय अतंर्गत विभिन्न स्वीकृत पदो के विरूद्ध बहुत से पद खाली पड़ा हुआ है जिसे भरने हेतु कोई आवश्यक कारवाई नहीं की गयी है जो पद जिला संवर्ग के है उन रिक्त पदों की रोस्टर क्लीयरेंस करा कर उस पर पदस्थापन हेतु प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से संबंधित आयोग को भेजी जाय तथा इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित की जाय।

8. **कार्यालय आदेश पंजी** :–बिहार अभिलेख हस्तक नियम 99 के आलोक में यह पंजी आवश्यक आदेश/निर्देश पालन हेतु विधिवत संधारित नहीं है।

9. **उपस्थिति पंजी** :–यह पंजी संधारित है, जिसमें इस कार्यालय में कार्यरत कर्मियों द्वारा प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति बनायी जाती है।

इस कार्यालय में Biomatric Attendence machine लगाया गया है परंतु निरीक्षण की तिथि को इसके माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं किया गया है। बताया गया कि मशीन का Installation हो गया है। निदेश दिया गया कि Biomatric Attendence machine के माध्यम से उपस्थित के आधार पर ही पदाधिकारी/कर्मियों को वेतन निर्गत किया जाय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी Biomatric machine अधिष्ठापित कराकर उपस्थिति दर्ज कराई जाय।

10. **आकस्मिक अवकाश पंजी** :–बिहार अभिलेख हस्तक 1960 के नियम 46 के आलोक में पदाधिकारियों / कर्मियों के लिये आकस्मिक अवकाश के लिये पंजी अलग–अलग संधारित है। उक्त पंजी में उपयोग किये गये आकस्मिक अवकाश का संधारण किया जाता है।

11. **अनुक्रमण पंजी** :–इस कार्यालय में बिहार अभिलेख हस्तक–1960 के नियम 08 के अनुसार अनुक्रमण पंजी संधारित है ।

12. **सेवापुस्त** :– बिहार सेवा संहिता के नियम–299 के आलोक में इस कार्यालय में कार्यरत कर्मियों का सेवापुस्त संधारित है।

13. **कर्मपुस्त** :– इस कार्यालय में कर्मपुस्त संधारित किया जाता है।

कर्म पुस्तिका का संधारण कर्मियों द्वारा सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया जाता है कि भविष्य में इसका संधारण सरकार के स्थापित नियमों के अनुरूप की जाय।

14. **प्रधान सहायक का नोटबुक :–प्रधान सहायक का नोट बुक संधारित नहीं है । निदेश दिया जाता है कि प्रधान सहायक नोटबुक संधारित करना सुनिश्चित की जाय।**

15. **सरकारी सेवकों की वरीयता सूची** :–लिपिक संवर्ग की वरीयता सूची वर्ष 2018 में प्रकाशित की गई है।

वरीयता क्रमांक का प्रकाशन भी 2018 के बाद नहीं किया गया है। जिला संवर्ग के कर्मियों की वरीयता तैयार कर अंतिम रूप से प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

16. <u>विधान सभा/लोक सभा प्रश्न</u>:–विधान सभा/लोकसभा से संबंधित मामला लंबित नहीं है ।

17. <u>प्राप्त पत्रों की पंजी</u> :– इस कार्यालय में प्राप्त पत्रों की पंजी संधारित किया गया है । विगत तीन वर्षों का विवरण निम्नवत है :

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या
1	2020	2351
2	2021	1167
3	2022 (23.09.2022 तक)	934

आगत पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि पंजी के कॉलम सही तरीके से नहीं भरे जा रहे हैं। खासकर आगत पत्र किस संचिका में विचारित हुआ और निस्तारित हुआ उसमें संचिका संख्या नहीं डाला गया है इसमें केवल लिपिक का नाम दर्ज है। उक्त पंजी और कर्म पुस्तिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों में कोई समन्वय स्थापित नहीं है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि उक्त पंजी के सभी कॉलम को सही तरीके से भरते हुए क्रमवार पत्रों को उपस्थापित करना सुनिश्चित किया जाय। **Pick & Choose** की पॉलिसी को नहीं अपनाया जाय।

18. निर्गत पत्रों की पंजी :– इस कार्यालय में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है। विगत तीन वर्षों का विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	वर्ष	निर्गत पत्रों की संख्या
1	2020	3449
2	2021	4282
3	2022 (23.09.2022 तक)	2678

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 8 के अनुसार विहित प्रपत्र में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि आगत और निर्गत पत्रों की पंजी को सही ढ़ंग से संधारित की जाय। आगत और निर्गत पंजी को आपस में को–रिलेट किया जाय जिससे यह जानकारी हो सके कि प्राप्त पत्रों पर क्या कार्रवाई की गयी। निर्गत पंजी से निर्गत पत्रों का कुछ अंश आगत पंजी में आना चाहिए।

19. वेतन भुगतान :– इस कार्यालय में स्वीकृत बल के विरूद्ध वर्त्तमान वर्ष 2022–23 का पदाधिकारी एवं कर्मियों का माह अगस्त–2022 तक वेतनादि का भुगतान किया गया है।

20. वेतन भरपाई पंजी :– वेतन भरपाई पंजी संधारित है।

21. अंकेक्षण :–इस कार्यालय में अंकेक्षण का मामला लंबित नहीं है ।

22. लोक शिकायत :– लोक शिकयत का मामला इस कार्यालय में लंबित नहीं है । प्राप्त एवं निष्पादन की स्थिति निम्नवत है:–

क्रमांक	कहाँ से प्राप्त हुआ	कुल प्राप्त	कुल निष्पादित	लंबित
1	माननीय मुख्यमंत्री (CPGRAM)	17	17	0
2	लोक शिकायत	18	18	0
3	सूचना का अधिकार	11	11	0

23. विभागीय कार्यवाही :– इस कार्यालय में विभागीय कार्रवई लंबित नही है । **इस कार्यालय में विभागीय कार्यवाही से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं पाया गया। अभी तक किसी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं होना संदेहास्पद है।**

24. सेवांत लाभ :– अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य संस्थानों में सेवान्त लाभ का मामला लंबित नही है । विगत छः माह में सेवा निवृत होने वाले कर्मी का विवरण निम्नवत है :–

क0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृति तिथि	कर्रवाई की स्थिति
1	श्रीमती शिप्रा कुमारी	ए0एन0एम0	प्रा0 स्वा0 केन्द्र,बहादुरगंज	28.10.62	31.10.22	
2	श्रीमती रिंका कुमारी	म0क0सेविका	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पोठिया	03.10.62	31.10.22	
3	श्रीमती लक्ष्मी देवी	ए0एन0एम0	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, टेढ़ागाछ	22.11.62	30.11.22	
4	श्रीमती चमेली कुमारी	ए0एन0एम0	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, ठाकुरगंज	02.01.63	31.01.23	
5	श्रीमती चम्पा कुमारी	ए0एन0एम0	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पोठिया	05.01.63	31.01.23	
6	श्रीमती डोली अंजली हेम्ब्रम	ए0एन0एम0	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पोठिया	08.01.63	31.01.23	
7	श्रीमती सुतपा राय	ए0एन0एम0	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पोठिया	13.01.63	31.01.23	
8	श्रीमती रंजना आचार्य	ए0एन0एम0	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, ठाकुरगंज	19.01.63	31.01.23	

यहाँ सेवांत लाभ के कोई मामला लंबित नहीं पाया गया। सेवांत लाभ का मामला लंबित नहीं पाया जाना एक अच्छी बात है परंतु यह भी सम्भावना है कि अधीनस्थ कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मियों के मामलें में जिलास्तर पर समीक्षा नहीं होने के कारण जिलास्तर पर इसका कोई ऑकड़ा उपलब्ध नहीं है। सिविल सर्जन, किशनगंज द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों की बैठक कर इसकी समीक्षा कर ली जाय। यदि कोई मामला लंबित पाया जाता है तो उसे नियमानुसार सम्पादित करने की कारवाई की जाय।

25. न्यायालय संबंधी :– जिला अन्तर्गत माननीय न्यायालय वादों से संबंधित मामला निम्नवत है:–

क0	सी0डब्लू0जे0सी0 / एम0जे0सी0 से संबंधित प्राप्त परिवाद सं0	कार्रवाई की स्थिति	अभ्युक्ति
1	CWJC NO-2914 / 2019 डा0 मदन मोहन झा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य	शपथ पत्र दायर करने हेतु भेजा गया है ।	
2	MJC	शून्य	

26. **सेवा सम्पुष्टि/प्रोन्नति** :– जिला अन्तर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मी, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2006 मे हुई है, का कुल 104 कर्मियों को ए.सी.पी. का लाभ लंबित है। नियुक्ति में हुई अनियमितता के संबंध में सभी कर्मियों का सभी अभिलेख निगरानी अन्वेशण ब्युरो, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर द्वारा जप्त किया गया है । सेवा सम्पुष्टि लंबित नही है ।

27. **भंडार पंजी** :– संबंधित पंजी अद्यतन संधारित है ।

28. **अनुकम्पा** :– अनुकम्पा से स्बंधित मामला लंबित नही है ।

29. **सरकारी सेवकों का सेवा इतिहास** :– मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.) अन्तर्गत सभी कर्मियों का सेवापुस्त 30.09.2019 तक का स्कैनिंग कर अपलोड किया जा चुका है।

निष्कर्ष :–

1. सिविल सर्जन कार्यालय, किशनगंज अस्पताल के पास कितनी भूमि है इसकी सही–सही जानकारी सिविल सर्जन, किशनगंज के द्वारा नहीं दिया गया। निदेश दिया गया कि सदर अस्पताल के पास जितनी भूमि है उन्हें चिन्हित कर पंजी में संधारित की जाय एवं इसके अधीनस्थ जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप केन्द्र है उनकी का भी सीमांकन कराकर भूमि पंजी तैयार कर ली जाय।

2. कुल 44 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगंज जिलें में है जिसमें से 24 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द कार्यरत नहीं है जबकि वहाॅ पूर्व से पद स्वीकृत है। कुछ स्थानों पर कर्मियों का पदस्थापन भी किया जा चुका है। सिविल सर्जन, किशनगंज को निदेश दिया गया है कि जिला पदाधिकारी, किशनगंज से समन्वय स्थापित कर भवनहीन **A.P.H.C** के लिए वे भूमि प्राप्त करेंगे साथ ही जिन स्वीकृत स्थल पर पंचायत भवन एवं अन्य भवन स्वीकृत हो वहाॅ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द को क्रियाशील करेंगे।

3. सदर अस्पताल, किशनगंज में अनके पद रिक्त पाये गये है, रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। अंतिम बार रोस्टर किलयरेस 2016 में किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि रिक्त पदों का रोस्टर क्लीयरेंस करा कर रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से संबंधित आयोग को प्रेषित की जाय एवं इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को भी दी जाय।

4. वरीयता क्रमांक का प्रकाशन भी 2018 के बाद नहीं किया गया है। सभी जिला संवर्ग के कर्मियों की वरीयता तैयार कर अंतिम रूप से प्रकाशित कराया जाय।

5. इस कार्यालय में विभागीय कार्यवाही तथा लोक सूचना के अधिकार से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं पाया गया। अभी तक किसी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं होना संदेहास्पद है।

6. यहाॅ सेवांत लाभ के कोई मामला लंबित नहीं पाया गया। सेवांत लाभ का मामला लंबित नहीं पाया जाना एक अच्छी बात है परंतु यह भी सम्भावना है कि अधीनस्थ कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मियों के मामलें में जिलास्तर पर समीक्षा नहीं होने के कारण

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों की बैठक कर इसकी समीक्षा कर ली जाय। यदि कोई मामला लंबित पाया जाता है तो उसे नियमानुसार सम्पादित करने की कारवाई की जाय।

7. सूचना के अधिकार के तहत माँगी गई सूचनाओं का निष्पादन संचिकाओं में किया जाता है। वांछित सूचना हेतु अपीलार्थी द्वारा दिये गये पोस्टल ऑर्डर का चालान के माध्यम से पूर्व में कभी भी जमा नहीं कराया जा रहा है जिससे वित्तीय क्षति हो रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि अपीलार्थी से प्राप्त प्रोस्टल ऑर्डर को सरकार के द्वारा दिये गये आदेश के अनुरूप प्राप्त राशि को अविलंब संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाय।

8. इस कार्यालय में **Biomatric Attendence machine** लगाया गया है परंतु निरीक्षण की तिथि को इसके माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं किया गया है। बताया गया कि मशीन का **Installation** हो गया है। निदेश दिया गया कि **Biomatric Attendence** के माध्यम से उपस्थित के आधार पर ही पदाधिकारी/कर्मियों को वेतन दिया जाय। अधीनस्थ कार्यालयों में भी **Biomatric machine** लगाया जाय तथा सरकार के आदेश के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. **BIHAR CLINICAL ESTABLISHMENT ACT &** 2010 एवं 2013 के तहत इस जिले में कुल 147 संस्थान निबंधित है। इन संस्थानों का जॉच सम्यक तरीके से नहीं किया जा रहा है। जिला रजिस्ट्रेशन अधिकार गठित है पर उसकी बैठक नही हो रही है। उक्त अधिनियम के नियमों का अनुपालन स्वास्थ्य संसाधनों के निबंधन में नहीं किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन, किशनगंज इस अधिनियम एवं नियमावली का अध्ययन कर इसके अनुरूप सम्यक कारवाई करेंगे। इस पर सम्यक अंकुश लगाने हेतु आयुक्त स्तर से भी दिशा निर्देश दिया गया है परंतु अभी तक इस दिशा में कोई कारवाई नहीं की जा सकी है। सिविल सर्जन, किशगंज को यथाशीघ्र इसके संबंध में कार्य करने का निदेश दिया गया।

10. विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु इस कार्यालय द्वारा अभी तक **GEM** पर निबंधित नहीं किया गया है जबकि वित्त विभाग का स्पष्ट निदेश है कि सरकारी कार्यालय के लिए क्रय की जानेवाली वस्तुओं तथा सामग्रियों को **GEM** के माध्यम से ही किया जाय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी कार्यान्वित कराया जाय।

11. सदर अस्पताल एवं अन्य संलग्न अस्पतालों को संचालित करने हेतु विभिन्न ऑउटसोर्सिंग एजेंसी(सुरक्षा, साफ–सफाई, जेनरेटर, बेड धुलाई, पथ्य आहार आदि) के लिए एजेंसी का चयन किया जाता है जिसकी संचिका जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पास रहती है जबकि आवंटन सिविल सर्जन को प्राप्त होता है। निदेश दिया गया कि ऑउटसोर्सिंग से संबंधित संचिका सिविल सर्जन के कार्यालय में रखी जाय।

12. किशनगंज जिलें में एक सहायक औषधि नियंत्रक एवं दो औषधि निरीक्षक पदस्थापित है। यहाँ कुल 577 हॉलसेलर तथा 487 रिटेलर निबंधित है। सहायक औषधि नियंत्रक के द्वारा बताया गया कि सितम्बर माह में दो जॉच किया गया है। सिविल सर्जन, किशनगंज को निदेश दिया गया कि दो सदस्यीय टीम बनाकर सप्ताह में कम से कम दो जगहों पर छापेमारी अवश्य करायी जाय जिससे दवा के अवैध कारोबारी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

13. इस जिलें में विभिन्न अस्पतालों में पदस्थापित कुल–10 चिकित्सक लंबे समय से अनुपस्थित हैं। इस मामलें में कार्यालय द्वारा सिर्फ विभाग से पत्राचार किया गया है। निदेश दिया गया कि शेष डॉक्टरों के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर एक पक्ष के अन्दर प्रेषित की जाय ताकि राज्य स्तर पर इस संबंध में कारवाई की जा सके।

14. क्रय समिति की बैठक की जाती है परंतु बैठक की कार्यवाही पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं लिया जाता है। निदेश दिया गया कि बैठक की कार्यवाही एवं लिये गये निर्णयों पर सभी सदस्यों का भी हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित की जाय।

15. आगत निर्गत पंजी तथा संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ संचिका का संधारण बिहार हस्तक अधिनियम एवं सरकार के द्वारा स्थापित नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि इन्हें सरकार के द्वारा स्थापित नियमों के अनुरूप यथाशीघ्र संधारित किया जाय।

16. रोकड़ पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 2020 के बाद से रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि एक पक्ष के अंदर रोकड़ पंजी का अद्यतन कराया जाय। सिविल सर्जन किशनगंज एक सप्ताह के अंदर इसे अद्यतन कर अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

17. आगत निर्गत पंजी, अनुक्रमणी पंजी तथा संचिका का अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि संचिका का संधारण बिहार हस्तक नियम एवं सरकार के द्वारा स्थापित नियमों के अनुरूप नहीं हो रहा है। कर्म पुस्तिका का भी संधारण कर्मियों द्वारा सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया जाता है कि भविष्य में इसका संधारण सरकार के स्थापित नियमों के अनुरूप की जाय।

18. सम्पूर्ण कार्यालय की कार्य व्यवस्था एवं वित्तीय व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि इस कार्यालय का वित्तीय संव्यवहार का रख–रखाव वित्त विभाग के नियमों–निर्देशों एवं प्रवधानों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी, किशनगंज समय–समय पर निरीक्षण के समय इस कार्यालय के वित्तीय संव्यवहारों का भी निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन–जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज)

ह0/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल,पूर्णिया।

ज्ञापांक................................/ पूर्णिया, दिनांक..............................

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णिया/अररिया/कटिहार को सूचनार्थ एवं समरूप मामले में समरूप कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/अररिया/कटिहार को सूचनार्थ एवं समरूप मामले में समरूप कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल,पूर्णिया।

ज्ञापांक....241..................../ पूर्णिया, दिनांक....4/10/2022

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4/10/22

आयुक्त